रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III —खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 19, 2016/अग्रहायण 28, 1938
No. 461] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 19, 2016/AGRAHAYANA 28, 1938

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2016

फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2016.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ) संशोधन विनियम 2016 कहा जाएगा।

(2) वे दिनांक 20 दिसम्बर 2016 से लागू होंगे।

2. विनियम 4 और 5 का संशोधन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ)विनियम, 2010 में:-

(क) विनियम 4 में तीसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा नामत: :-

"बशर्ते कि संक्रमणकालीन दो वर्ष की विस्तारित संक्रमण अवधि पूर्ण होने के बाद आगामी एक वर्ष अथवा कम अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जिसका कि बोर्ड निर्णय ले सकता है। ";

(ख) विनियम 5 में द्वितीय परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा नामत:-
"बशर्ते कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ निर्धारण के लिए रेलवे के माल टैरिफ तालिका के अनुसार बेंचमार्क किया जाएगा जैसा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ निर्धारण) संशोधन विनियम, 2016 के प्रवृत होने की तारीख से लागू होगा जो कि संक्रमण अवधि के दौरान अवरुध्द रहेगा और यदि आगे विस्तारित संक्रमण अवधि में रेलवे की माल टैरिफ तालिका में संशोधन होता है तो बोर्ड विचार कर सकता है तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन टैरिफ की बेंच मार्किंग पर निर्णय ले सकता है। "

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./349/16(188)]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सं. सा.का.नि. 987(अ) दिनांक 20.12.2010 को अधिसूचित किए गए तदनंतर संशोधित कर फा.सं.पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2012 दिनांक 13.12.2012 तथा फा.सं.पीएनजीआरबी /एम(सी)/62/2014 दिनांक 16.12.2014 के माध्यम से भारत के राजपत्र असाधारण भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचित किए गए।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2016

F. No. PNGRB/M(C)/62/2016.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.—

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on 20th December, 2016.

2. Amendment of regulations 4 and 5.

In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, –

(a) in regulation 4, after the third proviso, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided also that the transitional period may, after the completion of the extended transition period of two years, be further extended for another one year or lesser period as the Board may decide.";

(b) in regulation 5, after the second proviso, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the determination of the petroleum and petroleum product pipeline transportation tariff shall be benchmarked against the goods tariff table of the railways as applicable on the date of the coming into force of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2016 and if the goods tariff table of the railways is revised during the further extended period of transition, the Board may consider the benchmarking of the petroleum and petroleum products transportation tariff against such revision."

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./349/16(188)]

Foot Note: Principal regulations were notified vide G.S.R. 987(E) dated 20-12-2010 and subsequently amended *vide* Gazette of India Extraordinary Part III, Section 4 Notification No. F. No. PNGRB/M(C)/62/2012 dt. 13.12.2012 and F. No. PNGRB/M(C)/62/2014 dated 16.12.2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2016.12.21 09:32:34 +05'30'

IndiaCode